



क्रॉसपैथी

प्रलिस के लिये:

[होम्योपैथी](#), [भारतीय चकितिसा संघ](#), [भारतीय चकितिसा परषिद](#), [भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), [वशिव स्वास्थ्य संगठन](#), [ई-संजीवनी](#)

मेन्स के लिये:

क्रॉसपैथी, स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों का वनियमन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, चकितिसा लापरवाही और उत्तरदायित्व

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र **FDA के नरिदेश** (जसिमें फार्माकोलॉजी प्रमाण-पत्र वाले होम्योपैथिक चकितिसकों को एलोपैथिक दवाइयाँ लखिने की अनुमति दी गई है) से "क्रॉसपैथी" के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

- इस नरिणय की **भारतीय चकितिसा संघ (IMA)** ने आलोचना की है, जसिके द्वारा चेतावनी दी गई है कि इससे "क्रॉसपैथी" उत्पन्न हो सकती है और मरीजों को नुकसान हो सकता है।

क्रॉसपैथी क्या है?

- **क्रॉसपैथी:** क्रॉसपैथी का तात्पर्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा अपनी विशेषज्ञता के मान्यता प्राप्त दायरे से बाहर दवा लखिने या अभ्यास करने से है।
 - विशेष रूप से, इसमें वैकल्पिक चकितिसा प्रणालियों (जैसे आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चकितिसा, यूनानी, सदिध और होम्योपैथी (आयुष)) के चकितिसक शामिल होते हैं, जो आमतौर पर एलोपैथिक (आधुनिक) चकितिसा के लिये आरक्षित उपचार नरिधारित करते हैं।
- **चिंताएँ:** इस पद्धति की अक्सर आलोचना की जाती है, क्योंकि इससे गलत नदिान, अनुचित उपचार और रोगी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये चकितिसक आधुनिक चकितिसा की वधियों एवं प्रथाओं में पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं होते हैं।
- **वनियम और कानूनी मसालें:**
 - **MCI आचार संहति 2002 :** भारतीय चकितिसा परषिद (MCI) ने भारतीय चकितिसा परषिद अधिनियम, 1956 के तहत भारतीय चकितिसा परषिद (व्यावसायिक आचरण, शषिटाचार और नैतिकता) वनियम, 2002 की स्थापना की, जो अयोग्य व्यक्तियों को गर्भगत जैसी चकितिसा प्रक्रियाओं का संचालन करने या चकितिसा क्षमता प्रमाण पत्र जारी करने से प्रतिबंधित करता है।
 - इसमें यह भी प्रावधान है कि योग्य चकितिसक चकितिसा कार्यों के लिये गैर-योग्य कर्मियों को नियुक्त नहीं कर सकते।
 - **सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय:** वर्ष 1996 के एक ऐतिहासिक मामले, [2002] 2002 [2002] 2002 [2002] में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक होम्योपैथ को एलोपैथिक दवाएँ लखिने में लापरवाही के लिये उत्तरदायी ठहराया, जसिके कारण रोगी की मृत्यु हो गई।
 - न्यायालय ने फैसला दिया कि क्रॉस-सिस्टम प्रैक्टिस चकितिसा लापरवाही का मामला है।
 - बाद के नरिणयों में इसे बरकरार रखा गया है, जसिमें कहा गया है कि क्रॉसपैथी केवल तभी स्वीकार्य है जब संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया हो।

क्रॉसपैथी को बढ़ावा देने के क्या कारण हैं?

- **विशेषज्ञों की कमी:** भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता 2022-23 पर एक रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC)** में विशेषज्ञ डॉक्टरों की 80% कमी पर प्रकाश डाला गया है, जहाँ केवल 4,413 विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, जबकि 21,964 की आवश्यकता है।
- सरकार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चकितिसा पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिये आयुष डॉक्टरों को बढ़ावा दे रही है।

- **स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच का वसितार:** जून 2022 तक, भारत में **13 लाख से अधिक** एलोपैथिक डॉक्टर और 5.5 लाख से अधिक आयुष चिकित्सक थे।
 - भारत का डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात **1:836** है, जो **वशिव स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के मानक **1:1000** से अधिक है, लेकिन अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सीमित हो जाती है।
 - क्रॉसपैथी उन दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार करती है जहाँ **एलोपैथिक डॉक्टरों की कमी** है, तथा यह ग्रामीण मरीजों के लिये कफायती विकल्प उपलब्ध कराती है जो विशेषज्ञों या शहरी सुविधाओं तक नहीं पहुँच पाते हैं।
 - **खराब कार्य परस्थितियों और कम पारशिरमिक MBBS** डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी करने से प्रतर्बिधति करते हैं।

भारत में क्रॉसपैथी के संबंध में क्या चिताएँ हैं?

- **IMA की चिताएँ:** IMA ने महाराष्ट्र FDA के नवीनतम नरिदेश की आलोचना करते हुए तर्क दिया **करिषट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम, 2019** आयुष डॉक्टरों को एलोपैथी का अभ्यास करने के लिये अधिकृत नहीं करता है।
 - महाराष्ट्र का नरिणय राष्ट्रीय नीतियों के वपिरित है, क्योंकि केंद्रीय होम्योपैथी परिषद भी होम्योपैथों को एलोपैथी पद्धति से उपचार करने की अनुमति नहीं देती है।
 - IMA का कहना है कि इस तरह की प्रथाएँ **मरीजों की सुरक्षा के लिये हानिकारक** होंगी तथा इससे लापरवाही या **कदाचार** की संभावना बढ़ सकती है।
 - IMA का तर्क है कि यह "क्रॉसपैथी" को बढ़ावा देता है, तथा चिकित्सा योग्यताओं और विशेषज्ञताओं की अखंडता को कमजोर करता है।
- **देखभाल की गुणवत्ता:** इससे स्वास्थ्य सेवा के मानक से समझौता होता है, क्योंकि आयुष चिकित्सकों के पास आधुनिक चिकित्सा में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है।
- **अस्पताल की कार्यप्रणाली:** यह नरिदेश आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक भूमिकाओं में नयिकृत करने को प्रोत्साहित करता है, जो चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन है और **बैचलर ऑफ मेडिसिनि और बैचलर ऑफ सर्जरी (MBBS)** या आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों के लिये **रोज़गार के अवसरों को कम करने** में योगदान देता है।

भारतीय चिकित्सा संघ (IMA)

- वर्ष 1928 में स्थापित IMA भारत में डॉक्टरों के लिये सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा में सुधार और चिकित्सा पेशे की गरमा की रक्षा पर केंद्रित है।
- IMA का मुख्यालय **नई दिल्ली** में है, जो स्वास्थ्य नीतियों को आकार देने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आगे की राह

- **GP प्रणाली को मज़बूत करना:** वैकल्पिक चिकित्सा चिकित्सकों को एकीकृत करने के बजाय, ग्रामीण क्षेत्रों में **प्रोत्साहन और कार्य स्थितियों** में सुधार करके, वंचित क्षेत्रों में **MBBS डॉक्टरों को आकर्षित करने** पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
 - **मध्य-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिये विशेषज्ञ प्रशिक्षण अनिवार्य** करके भारत की जनरल प्रैक्टिस (GP) प्रणाली को मज़बूत करना।
- **आयुष और एलोपैथी का वनियमन:** सरकार को आयुष चिकित्सकों के लिये एलोपैथिक डॉक्टरों के साथ काम करने हेतु एक वनियमिति ढाँचा बनाना चाहिये, जिसमें उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित हो।
 - उन्हें **चिकित्सा नियामक निकायों** की देखरेख में एलोपैथिक दवाओं को सुरक्षित रूप से नरिधारित करने के लिये **आधुनिक चिकित्सा**, विशेषकर फार्माकोलॉजी में **अतिरिक्त प्रशिक्षण** प्राप्त करना होगा।
- **टेलीमेडिसिनि को बढ़ावा देना:** **टेलीमेडिसिनि (ई-संजीवनी)** सुरक्षा से समझौता किये बना प्रौद्योगिकी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके ग्रामीण रोगियों और शहरी विशेषज्ञों के बीच अंतर को कम कर सकती है।

?????? ???? ????:

प्रश्न: क्रॉसपैथी को परिभाषित कीजिये और रोगी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिये। भारत में क्रॉस-सिस्टम चिकित्सा को नयित्तरित करने वाले कानूनी उदाहरणों और वनियमिओं पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????

प्रश्न. भैषजिक कंपनियों के द्वारा आयुर्वज्ज्ञान के पारंपरिक ज्ज्ञान को पेटेंट कराने से भारत सरकार कसि प्रकार रक्षा कर रही है? (2019)

